(21)

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
परिपत्र सं0 सी-68/तक0प्र0/2017-18 दिनॉक: 1-12-17

समस्त शाखा प्रबन्धक,
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0
उत्तर प्रदेश।

"अति आवश्यक"

विषय- डेयरी उद्यमिता विकास योजना (डीईडीएस) दिनॉक 30 सितम्बर,2017 के पश्चात् दिनॉक 31दिसम्बर, 2017 तक के लिए योजना जारी रखने के सम्बन्ध में।

प्रधान कार्यालय के परिपत्र संख्या-सी-27/त0प्र0/17-18 दिनॉक 16.06.2017 व परिपत्र संख्या-63/ दिनॉक 09.11.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो नाबार्ड के सन्दर्भ संख्या-राबैं(डीओआर)/जीएसएस/2425/डीईडीएस0-01/17-18 दिनॉक-27.10.2017 के क्रम में है, के अनुसार वर्ष 2017-18 में दिनॉक 30.09.17 से दिनॉक 31.12.17 तक डेयरी उद्यमिता विकास योजना (डीईडीएस) जारी रहेगी।

उक्त योजनार्न्तगत प्रेषित प्रस्तावों में लाभार्थियों का आधार-कार्ड का नम्बर भी उपलब्ध कराया जाना है। इसके अतिरिक्त लाभार्थियों के खाता एन0पी0ए0 नहीं होना चाहिये। योजना का लॉकिंग पीरियड तीन वर्ष होने के कारण खाता तीन वर्ष तक कम से कम चलना चाहिये। उक्त अवधि के दौरान लाभार्थियों द्वारा प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर वितरित ऋण प्रकरणों में उपरोक्त योजनार्न्तगत नियमानुसार ऋण वितरित करते हुए शाखा-प्रबन्धक अपने स्तर से अनुदान हेतु प्रस्ताव को भली-भॉति जॉच कर बैंक के ई-मेल आई0डी0 में भेजने के पश्चात् एक प्रति हार्ड-कापी तकनीकी-अनुभाग को निययमानुसार प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

इसी क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रशासनिक अनुमोदन के अनुबन्ध में दिये गये योजना के मार्ग-निर्देशों के अन्य पक्षों का पालन पूर्व की भॉति किया जाये।

(के0पी0सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि-निम्नॉकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित-

(1) समस्त जनपदीय प्रबन्धक श्रेणी-2,उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,उत्तर-प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र की प्रति को अपने जनपद की समस्त शाखाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(2). उप महाप्रबन्धक(कम्प्यूटर),उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान-कार्यालय,लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र को ई-मेल द्वारा समस्त जनपदीय प्रबन्धकों को प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

(अजय पाल सिंह)
महाप्रबन्धक(तकनीकी)